



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-के.ए.-अ.-21112025-267890
CG-KA-E-21112025-267890

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5148]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 21, 2025/कार्तिक 30, 1947

No. 5148]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 21, 2025/KARTIKA 30, 1947

रेल मंत्रालय

(दक्षिण पश्चिम रेलवे)

अधिसूचना

हुबली, 21 नवम्बर, 2025

का.आ. 5324(अ).— रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 2008 की धारा 20एफ के खंड (6) और धारा 2 के खंड 7ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रेलवे मंत्रालय (दक्षिण पश्चिम रेलवे, रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट्स, हुबली) एतद्वारा नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (4) में उल्लिखित अधिकारियों को 'सक्षम प्राधिकारी' और नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (5) में उल्लिखित अधिकारियों को 'मध्यस्थ' के रूप में उक्त अधिनियम के तहत ऐसे प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत करता है, जो सार्वजनिक उद्देश्य के लिए आवश्यक भूमि अधिग्रहण के लिए नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (3) में उल्लिखित जिलों से संबंधित स्तंभ (2) में उल्लिखित विशेष रेलवे परियोजनाओं के संबंध में आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा।

सारणी

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	जिला	सक्षम प्राधिकारी	मध्यस्थ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	बैंगलोर शहर के चिक्कावानावर और गोल्हाली के बीच सीमित ऊंचाई वाले सबवे के साथ किमी 16/100-200 पर नियंत्रण रेखा संख्या 10 के स्थान पर सड़क ऊपरी पुल (आरओबी) का निर्माण - सम्पीगे रोड सेक्शन।	बैंगलुरु शहरी	विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, बैंगलुरु	क्षेत्रीय आयुक्त, बैंगलुरु
2	बैंगलोर शहर के चिक्कावानावर और गोल्हाली के बीच सीमित ऊंचाई वाले सबवे के साथ किमी 17/439 पर नियंत्रण रेखा संख्या 11 के स्थान पर सड़क ऊपरी पुल (आरओबी) का निर्माण - सम्पीगे रोड सेक्शन।			
3	मांड्या-येलियूर स्टेशनों के बीच किमी.96/600-700 पर एल.सी. संख्या 76 के स्थान पर प्रस्तावित सड़क ऊपरी पुल।	मांड्या	सहायक आयुक्त, पांडवपुरा	क्षेत्रीय आयुक्त, मैसूर
4	ब्याद्राहाली पांडवपुरा के बीच किमी 116/500-600 पर नियंत्रण रेखा संख्या 94 के स्थान पर सड़क ऊपरी पुल (आरओबी) का निर्माण।			
5	अमृतपुरा - चित्रदुर्ग स्टेशनों के बीच किमी: 25/400-500 पर एल.सी.टी. संख्या 15 के स्थान पर सबवे के साथ-साथ सड़क ऊपरी पुल का निर्माण।	चित्रदुर्ग	सहायक आयुक्त, चित्रदुर्ग	क्षेत्रीय आयुक्त, बैंगलुरु

[फा. सं. एसडब्ल्यूआर/डब्ल्यू.352/आरओबीएस-आरएसपी/भूमि/2025-26]

निगप्पा चंदप्पा चलुवादि , उप मुख्य अभियंता

MINISTRY OF RAILWAYS

(South Western Railway)

NOTIFICATION

Hubballi, the 21st November, 2025

S.O. 5324(E).— In the exercise of the powers conferred by clause (6) of section 20F and clause 7A of section 2 of the Railway Act, 1989 (24 of 1989), the Railways (Amendment) Act, 2008 the Ministry of Railway (South Western Railway, Road Safety Projects, Hubballi) hereby authorizes the officers mentioned in column (4) of the table below as 'Competent Authority' and the officers mentioned in column (5) of the table below as 'Arbitrator' to perform the functions as such authority under the said Act with effect from date of publication of this notification in the official gazette in respect of Special Railway Projects mentioned in column (2) relating to districts mentioned in column (3) of the table below for Land Acquisition required for the public purpose.

TABLE

Sl No	Name of the Project	District	Competent Authority	Arbitrator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Construction of Road Over Bridge (ROB) in lieu of LC No.10 at km 16/100-200 with Limited Height Subway between Chikkabanavar and Golhalli of Bangalore city – Sampige Road Section.	Bangalore Urban	Special Land Acquisition officer, Bangalore	Regional Commissioner, Bangalore
2	Construction of Road Over Bridge (ROB) in lieu of LC No.11 at km 17/439 with Limited Height Subway between Chikkabanavar and Golhalli of Bangalore city – Sampige Road Section.			
3	Proposed Road Over Bridge in lieu of LC No.76 at Km.96/600-700 between Mandya-Yeliyur stations	Mandya	Assistant Commissioner, Pandavapura	Regional Commissioner, Mysuru
4	Construction of Road over bridge (ROB) in lieu of LC No.94 at Km,116/500-600 between Byadrahali Pandavapura			
5	Construction of Road Over Bridge along with subway in lieu of LC No. 15 at km: 25/400-500 between Amritapura - Chitradurga stations.	Chitradurga	Assistant Commissioner, Chitradurga	Regional Commissioner, Bangalore

[F. No. SWR/W.352/ROBs-RSP/Land/2025-26]

NINGAPPA CHANDAPPA CHALUWADI, Dy. Chief Engineer